

5/10 अधिवक्ता वादीया द्वारा मिसल तलबी का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने
 से पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता वादीया द्वारा आवेदन पत्र
 प्रस्तुत कर आवेदन किया है कि कुछ बांधीया व पुत्रियादी संख्या
 एक के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है जिससे
 प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण में
 कार्यवाही द्रोप कराई जाये। अधिवक्ता वादीया द्वारा प्रकरण में
 आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते से प्रकरण इसी स्टेज पर
 खारीज किया जाता है। पत्रावली के राल शुभार हो पर नम्बर
 से काम हो। निर्णय कुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
 जिला-राजसमन्द